

न्यायालय सहायक कलक्टर, (फास्ट ट्रेक), बाड़मेर
नाम पीठारीन अधिकारी :- श्री वीरमा राम आर.ए.एस.
वादीगण वनाग प्रतिवादी

अन्तिम डिक्री

शुभियों पुत्री बाबुलाल पत्नी
चौखाराम निवासी खानजी का तला,
चौखला तहसील बाटाडू व जिला
बाड़मेर 2 श्रीरु पुत्री बाबुलाल पत्नी
इन्दाराम निवासी जसदेर, बायतू
चिमनजी तहसील बायतू व जिला
बालोतरा।

1 बाबुलाल 2.जालूराम 3.रामाराम पिसरान
सताराम जातियान जाट निवासी दानासर,
चौखला तहसील बाटाडू व जिला बाड़मेर 4.
शाखा प्रबन्धक, राजरथान मरुधर ग्रामीण बैंक
शाखा भीगडा तहसील बायतू व जिला
बालोतरा 4.तहसीलदार बाटाडू जिला बाड़मेर


राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 209 व 188 RTA Act.

मुकदमा नम्बर :- 123/2024
निर्णय दिनांक :- 02/05/2025

वकील वादीनीगण एवं वकील प्रतिवादी संख्या-.... की उपस्थिति में इस वाद में
आज तारीख 02/05/2025 को श्री वीरमा राम, सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) बाड़मेर के समक्ष
अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और अन्तिम डिक्री निम्नप्रकार
दी जाती है कि :-

वादीगण का वाद स्वीकार मौजा मूलाणी पटवार हल्का चौखला तहसील बाटाडू व
जिला बाड़मेर के खेत खसरा संख्या 654/596 रकबा 4.1664 हेक्टेयर, मौजा दानासर
पटवार हल्का चौखला तहसील बाटाडू व जिला बाड़मेर के खेत खसरा संख्या 620/581
रकबा 3.8589 हेक्टेयर भूमि में वादीनीगण का प्रतिवादी सं0 01 के साथ 1/3-1/3 हिस्सा
की सह खातेदारी व मौजा दानासर पटवार हल्का चौखला तहसील बाटाडू व जिला बाड़मेर
के खेत खसरा संख्या 583 रकबा 7.0626 हेक्टेयर भूमि में वादीनीगण का प्रतिवादी संख्या
01 के साथ सम्पूर्ण खाते में 1/9-1/9 हिस्सा खातेदारी में घोषित किया जाता है।

तहसीलदार बाटाडू तदनुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद करावें। खर्चा
पक्षकारान अपना-अपना वहन करें
यह आज तारीख 02/05/2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर
दी गई।


(वीरमा राम)
पीठारीन अधिकारी
सहायक कलक्टर,
(फास्ट ट्रेक), बाड़मेर

वाद को खर्चे		प्रतिवादी
वादी	रूपया	
1 वाद पत्र के लिए स्टाम्प	जोड़	शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तमिल कमिश्नर की फीस
2 शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		
3 प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		
4 रूपये पर प्लीडर की फीस		
5 साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय		
6 कमिश्नर की फीस		
7 आदेशिका की तामिल		
	जोड़	जोड़